



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

पौष 22, शुक्रवार, शाके 1939-जनवरी 12, 2018
Pausa 22, Friday, Saka 1939-January 12, 2018

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 12, 2018

एस.ओ. 274 :-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि विद्युत का उपापन विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) के उपबंधों के अनुसार किया जाना है, लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, अतः विद्युत के उपापन को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) के उपबंधों की प्रयोज्यता से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

[संख्या एफ.2(1) एफ.डी./एस.पी.एफ.सी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मंजू राजपाल,

शासन सचिव।

FINANCE (SPFC) DEPARTMENT
NOTIFICATION

Jaipur, January 12, 2018

S.O.274 .-In exercise of the powers conferred by section 58
of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

(Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that the procurement of electricity is to be made in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003), it is necessary in public interest so to do, hereby exempts the procurement of electricity from the application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012).

[No. F. 2(1)/FD/SPFC/2017]

By Order of the Governor,

Manju Rajpal,

Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.